पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2015 का आपराधिक विविध सं.43583
वर्ष–2014 का थाना कांड सं 417–जिला समस्तीपुर से उद्भूत

= =

राम अवतार राय, पुत्र–स्वर्गीय बचन राय, निवासी, मोहल्ला आजादनगर बी. आर. बी. कॉलेज मोहनपुर रोड के पीछे थाना मुफस्सिल, जिला समस्तीपुर

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. युगेश्वर गोप, पुत्र–स्वर्गीय रघुनाथ गोप, निवासी, मोहल्ला आजादनगर बी. आर. बी. कॉलेज मोहनपुर रोड के पीछे थाना मुफस्सिल, जिला समस्तीपुर
3. देव लक्ष्मी देवी, पत्नी–युगेश्वर गोप, निवासी, मोहल्ला बी. आर. बी. कॉलेज मोहनपुर रोड के पीछे, थाना मुफस्सिल, जिला समस्तीपुर
4 शोभा देवी, पत्नी–राम अवतार राय ,निवासी मोहल्ला आजादनगर बी. आर. बी. कॉलेज मोहनपुर रोड के पीछे थाना मुफस्सिल, जिला समस्तीपुर

........विपरीत पक्ष/पक्षों

= =

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए : श्री बिजय भूषण प्रसाद, अधिवक्ता
सुश्री रानी शशि भारती, अधिवक्ता
न्यायमित्र : श्री सर्वेश कुमार सिंह,
राज्य के लिए : श्री चंदर सेन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

= =

धारा 482 सीआरपीसी–––रद्द करना–––– माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007–––भरण–पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने के लिए याचिका कि न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसा आवेदन दायर करने के लिए कोई कारण नहीं है––– माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम संविधान के तहत दिए गए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण–पोषण और कल्याण के लिए प्रभावी प्रावधान प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है––– अधिनियम के प्रावधान से पता चलता है कि माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक संबंधित व्यक्तियों से भरण–पोषण की मांग कर सकते हैं जो अधिनियम के तहत उत्तरदायी हैं या वे संबंधित व्यक्ति के पक्ष में किए गए किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण को भी शून्य घोषित करवा सकते हैं–––– आवेदकों द्वारा ऐसी कोई राहत नहीं मांगी गई है क्योंकि वे केवल याचिकाकर्ता द्वारा उनकी भूमि पर किए गए दुर्व्यवहार/यातना और उपद्रव से व्यथित हैं, जिससे उन्हें डर लगता है––– मामले के तथ्य और परिस्थितियां अधिकतम दीवानी और आपराधिक प्रकृति का विवाद बनाती हैं और आवेदकों के पास

दीवानी और आपराधिक कानून के तहत उपचार है और उन्होंने पहले ही आपराधिक कानून का सहारा लेकर याचिका दायर की है। एफआईआर --- भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पोषणीय नहीं है और रद्द कर दी गई --- याचिका स्वीकार की गई। (पैरा- 4, 7, 9)

= =

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= =

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार
मौखिक निर्णय

तिथि -20-01-2025

वर्तमान याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी पक्ष सं 2 और 3 के आवेदन पर माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही सं 05 वर्ष 2025 को निरस्त और अपास्त करने कि मांग को लेकर दायर की गई है, जिसमे पत्र संख्या 850 दिनांक 24.03.2015 के द्वरा नोटिस जारी की गयी है ।

2. अभिलेख से परिलक्षित मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि विरोधी पक्ष सं 2 और 3 याचिकाकर्ता के ससुर और सास हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी (विरोधी पक्ष सं 2 की बेटी) शोभा देवी, जो यहाँ विरोधी पक्ष संख्या 4 हैं, के खिलाफ भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया है। आवेदन के अवलोकन से, यह स्पष्ट होता है कि आवेदकों ने विरोधी पक्षों जो याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष संख्या 4 हैं, से किसी भी भरण-पोषण की मांग नहीं की है और न ही उन्होंने किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में कोई घोषणा शून्य घोषित करने की मांग की है। आवेदन के अनुसार, वे आवेदक की भूमि पर उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार /यातना और उपद्रव एवं उन्हें डराने-धमकाने का कार्य करने से व्यथित हैं । यह आगे स्पष्ट होता है कि आवेदन पर, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी (इसमें विरोधी पक्ष संख्या 4) को न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने और दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, दायर करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

3. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान न्यायमित्र और राज्य के विद्वान सहायक लोक अभियोजक को सुना। हालाँकि, नोटिस की तामिल के बावजूद विरोधी पक्ष संख्या 2, 3 और 4 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन में किए गए प्रकथन के अनुसार, न्यायाधिकरण के समक्ष इस तरह का आवेदन दायर करने के लिए कोई कारण नहीं है। उन्होंने आगे दलील दी है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसके तहत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण प्रदान करने और कुछ परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी

हस्तांतरण को शून्य घोषित करने का प्रावधान है, लेकिन आवेदकों द्वारा ऐसा कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। अभिकथित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार,याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी के खिलाफ अधिक से अधिक आपराधिक मुकदमा उनके द्वारा शुरू किया जा सकता है और उन्होंने पहले हीं दिनांक 16.10.2014 को लिखित रिपोर्ट दाखिल करके आपराधिक कानून के तहत आपराधिक उपचार का सहारा लिया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी और उनके पुत्रों एवं पुत्रियों के खिलाफ मुफस्सिल थाना कांड सं 417/2014 दर्ज किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दृष्टी में, भरण–पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही भरण–पोषण न्यायाधिकरण के किसी भी अधिकार क्षेत्र के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

5. राज्य के सहायक लोक अभियोजक के साथ–साथ न्यायमित्र याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की कानूनी दलीलों से सहमत है कि तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भरण–पोषण न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता हो, न तो आवेदक द्वारा कोई भरण–पोषण मांगा गया है और न ही संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण के संबंध में कोई राहत मांगी गई है। यदि आवेदक याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी, शोभा देवी(विरोधी पक्ष संख्या 4) के कृत्यों से व्यथित हैं, तो वे दीवानी और आपराधिक कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपचार का सहारा ले सकते हैं और अभिलेख के अनुसार, वे पहले ही लिखित प्रतिवेदन दायर कर चुके हैं जिसमें याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी और उनके बच्चों द्वारा विरोधी पक्ष संख्या 2 और 3 के खिलाफ अपराध कारित करने का आरोप लगाया गया है। इसप्रकार, भरण–पोषण न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं है।

6. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

7. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम संविधान मे प्रदत्त, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण और उससे जुड़े मामलों के लिए के निहित प्रावधान को प्रभावी बनाने के अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के विस्तृत प्रावधान दर्शाता है कि माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक संबंधित व्यक्तियों, जो अधिनियम के तहत उत्तरदायी हैं से भरण–पोषण की मांग कर सकते हैं या वे शर्तों की पूर्ति के अधीन संबंधित व्यक्ति के पक्ष में की गई किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आवेदकों द्वारा ऐसी किसी भी राहत की मांग नहीं की गई है।

8. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, भरण–पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष विरोधी पक्ष संख्या 2 और 3 द्वारा किए गए आवेदन पर सुनवाई करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है।

9. मामले के कथित तथ्य और परिस्थितियाँ दीवानी प्रकृति के साथ–साथ आपराधिक प्रकृति का विवाद हैं और आवेदकों के पास नागरिक और आपराधिक कानून के तहत अपना उपाय है और उन्होंने पहले ही प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आपराधिक कानून लागू कर दिया है।

10. इसलिए, भरण–पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है।

11. तदनुसार, भरण–पोषण न्यायाधिकरण, समस्तीपुर के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करते हुए वर्तमान याचिका को मंजूरी दी जाती है, जो विरोधी पक्ष सं 2 और 3 दिनांक 12.02.2015 के आवेदन पर शुरू की गई थी।

12. विद्वान न्यायमित्र, श्री सर्वेश कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना की जाती है और सचिव, पटना उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर उन्हें 10,000/– रूपये का मानदेय भुगतान करें| ।

13. इस आदेश की एक प्रति सूचना और आवश्यक जानकारी के लिए सचिव, पटना उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को भेजें।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

चंदन/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।